कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
सातवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

E-mail.-sepwgope@rediffmail.com

पत्रांक– 4821/01भवन–07/2025

सेवा में, दिनांक– 22/12/2025

मुख्य विकास अधिकारी
चमोली/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद,
विकास भवन, गोपेश्वर, घमाली।

विषयः– गैरसैण विकास परिषद के अन्तर्गत विस्तृज जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण एवं क्षमता विकास कार्य योजना से सम्बन्धित आंगणनों पर टी.ए.सी. के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 34/गै.वि.परि.–आगंणन–आपत्ति/2025–26 दिनांक 22.12.2025

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्नांकित कार्यों के आगणन इस कार्यालय को तकनीकी परीक्षण हेतु प्रेषित किये गये हैं :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत (लाख रू. में)
1	गैरसैण एवं चौखुटिया में 20 सूखे/अकार्यशील हैण्डपम्पों को वर्षा जल से डायरेक्ट इंजेक्शन टैक्नोलॉजी द्वार पुनर्जीवित एवं भूजन पुनर्भरण करना।	30,91,833.00
2	गैरसैंण विकास परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत PRI, VWSC,ASHA के 300 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण।	18,75,000.00
3	विधान सभा भवन के पीछे खाली स्थान पर वर्षा जल संरक्षण टैंक का निर्माण(300 के.एल.)	53,92,173.15

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। 10,359,006
2. कार्य पर मदवार उतना की व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि प्राविधानित की गयी है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी के मध्यनजर रखते हुए दरों एवं विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामाग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य कराते हुए विशिष्टियों के अनुरूप सामाग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधान अपरिहार्य दशा में परिवर्तन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से ली जाय।
7. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. एकमुश्त प्राविधान के कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

संलग्नः–आगणन तीन प्रतियों में।

अधीक्षण अभियन्ता,
सातवां वृत्त, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा.), वृत्तीय कार्यालय को आगणन की एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
सातवां वृत्त, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित)
Swami Rama Himalayan University
(Estd. under section 2(f) of UGC Act, 1956 vide Uttarakhand State Act)

पत्रांकः– एस.आर.एच.यू. / आई.आई.पी.एस.आर.टी. / 2025–26 / 1245 दिनांक 19.12.2025

सेवा में,

मुख्य विकासे अधिकारी
चमोली / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद,
विकासभवन गोपेश्वर, चमोली

विषयः प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय से दूरभाष पर हुई वार्ता से ज्ञात हुआ कि संस्थान द्वारा प्रेषित प्राक्कलनों में जांचोपरान्त कुछ त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं जिनका विवरण एवं औचित्य निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	परिलक्षित त्रुटिया	औचित्य (Justification/ Reference)
1	आगणन में कतिपय दरें एकमुश्त ली गई हैं, यदा Supervision, Travel Expert Cost जिसका औचित्यपूर्ण Justification/ Reference व Quotation & Comparative संलग्न किया जाय।	1. उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून का पत्रांक 4058 / वि0अनु0 / 2016–17 दिनांक 10.10.2016 पत्र पेयजल सचिव के विषयक कार्यदायी संस्थाओं के सैन्टेज प्रभार का निर्धारण के अनुसार **12.5 प्रतिशत** सैन्टेज चार्जेज। 2. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 54 / 10 अधिप्राप्ति / 16 दिनांक 21.01.2016 के परिपत्र के अनुसार **3 प्रतिशत** कन्टीजेन्सी एवं **1 प्रतिशत** गुणवत्ता नियंत्रण चार्जेज। 3. **3.5 प्रतिशत** संस्था ओवरहैड चार्जेज। **कुल 20 प्रतिशत**
2	UJN दरें हेतु DSR/NSI Item की दरें संलग्न की जानी है जो कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित हो।	1. UJN दरों हेतु SOR (2023) **(संलग्न)** 2. DSR दरों हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग DSR भाग– 1 एवं भाग– 2 (2023) **(संलग्न)** 3. NSI हेतु Quotation & Comparative **(संलग्न)**
3	Index किस आधार पर लिया गया है, स्पष्ट किया जाना है व Circular/Notification यदि है तो संलग्न किया जाय।	1. DSR- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पत्रांक F.No.: 23 (Cost index)/अ.म.नि.(चं.) / का.अभि.(यो.) / 1075 दिनांक 19.06.2025 विषयः Approval of Cost Index **(संलग्न)** 2. SOR (2023) **(संलग्न)**
4	आगणन में ली गई drawing समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी है।	डायरेक्ट इंजेक्शन जलस्रोत पुनर्भरण योजना (निष्क्रिय हैंडपम्पों द्वारा उपचारित वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण) की आगणन में ली गई सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ड्राईंग **(संलग्न)**

भवदीय

19/12/25

(नितेश कौशिक)
नोडल निदेशक
जल एवं स्वच्छता विभाग
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय
जौलीग्रान्ट, देहरादून

स्वामी राम नगर, जौलीग्रांट, देहरादून 248016, उत्तराखण्ड, भारत

Swami Ram Nagar, Jolly Grant, Dehradun 248016, Uttarakhand, India.
Tel:+91-135-2471102 / 2471140 | Email: info@srhu.edu.in | www.srhu.edu.in

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सप्तम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

E.Mail : sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक : 4750 /01भवन–7/2023 लेख्या गै. वि. परि. दिनॉक 18–12–2025

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
चमोली।

मु.वि.अ. चमोली 18/12/25

विषय : प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक संख्या–33/गै॰वि॰परि॰–आंगणन–टी॰ए॰सी॰/2025–26 दिनांक 15 12. 2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र से प्राप्त निम्न कार्यो के आगणन प्राक्कलन की टी॰ए॰सी॰ हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये गये थे जिसमें जांचोपरान्त निम्न त्रुटियॉ परिलक्षित हुयी है।

1– आगणन में कतिपय दरें एकमुश्त ली गई है, यदा Supervision, Travel Expert Cost जिसका औचित्यपूर्ण Justification/Reference व Quotation & Comparative संलग्न किया जाय।।

2– UJN दरें हेतु DSR/NSI Item की दरें संलग्न की जानी है जो कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित हो।

3– Index किस आधार पर लिया गया है स्पष्ट किया जाना है व Circular/Notification यदि है तो संलग्न किया जाय।

4–आगणन में ली गई drawing समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी है।

संलग्न– आगणन मूल में ।

18/12/25
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
सप्तम वृत्त, लो॰नि॰वि॰
गोपेश्वर

।।महत्वपूर्ण।।

संख्या–33 / गै.वि.परि.–आंगणन–टी.ए.सी. / 2025–26

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
चमोली / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद,
विकास भवन, गोपेश्वर जनपद चमोली।

सेवामें,

अधीक्षण अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर / अध्यक्ष,
जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 कमेटी,
जनपद चमोली।

दिनांक : तद्दिनांकित हस्ताक्षरित

विषयः गैरसैंण विकास परिषद के अन्तर्गत विस्तृत जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण एवं क्षमता–विकास कार्य योजना से सम्बन्धित आंगणनों को टी0ए0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उल्लेख करना है कि मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 19 अगस्त, 2025 को भराडीसैंण स्थित विधान सभा भवन में उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद की बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत वर्षा जल संवर्द्धन, स्रोतों को पुर्नजीवित किए जाने हेतु भूमिगत् जल संचयन के कार्य एवं हैण्ड पम्पों के जल स्तर को बढाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वामी राम हिमालयन विश्व विद्यालय, जौलीग्रान्ट, देहरादून के माध्यम से तैयार कराते हुए आंगणन आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में नोडल निदेशक, जल एवं स्वच्छता विभाग, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रान्ट, देहरादून के द्वारा निम्न तालिका में अंकित कार्यों के आंगणन तैयार करते हुए उपलब्ध कराये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि शासन से प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किए जाने से पूर्व आगणनों को जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 कमेटी से टी0ए0सी0 कराया जाना है।

अतः उक्त के आलोक में निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार कार्यों के आगणन तीन प्रतियों में तैयार कर आपको इस आशय के साथ संलग्न् कर प्रेषित किए जा रहे हैं कि आप शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्तर्गत आंगणनों पर जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 कमेटी से टी0ए0सी0 कराने के फलस्वरूप इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आंगणन धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु शासन को प्रेषित किए जा सके।

क्र0 सं0	प्रस्ताव / परियोजना का नाम	संक्षिप्त विवरण	कुल अनुमानित व्यय (लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	डायरेक्ट इंजेक्शन जलस्रोत पुनर्भरण योजना (निष्क्रिय हैण्ड पम्पों द्वारा उपचारित वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण)।	गैरसैंण एवं चौखुटिया में 20 सूखे / अकार्यशील हैंण्डपम्पों को वर्षा जल से डायरेक्ट इंजेक्शन टैक्नोलॉजी द्वारा पुनर्जीवित एवं भूजल पुनर्भरण करना।	31,04,435.00
2.	दो–दिवसीय आवासीय क्षमता–विकास प्रशिक्षण काय्रकम (05 बैच)।	गैरसैंण विकास परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत PRI, VWSC, ASHA के 300 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण।	18,75,000.00
3.	विधान सभा भवन, भराडीसैंण में वर्षा जल संरक्षण टैंक का निर्माण।	विधान सभा भवन के पीछे खाली स्थान पर वर्षा जल संरक्षण टैंक का निर्माण (300 के0एल0)।	57,21,408.00
	कुल योग		1,07,00843.00

संलग्न्—यथोक्त (मूल मे)।

<u>संख्या–33 / गै.वि.परि.–आंगणन–टी.ए.सी. / 2025–26 तद्दिनांकित हस्ताक्षरित।</u>

प्रतिलिपि : प्रमुख निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून / मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद को मा0 अध्यक्ष जी के संज्ञानार्थ / अवलोकनार्थ प्रेषित।

2. नोडल निदेशक, जल एवं स्वच्छता विभाग, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रान्ट, देहरादून को उनके पत्र संख्या–एस.आर.एच.यू. / आई.आई.पी.एस.आर.टी. / 2025–26 / 1244 दिनांक 04.12.2025 के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे स्वयं भी उक्त कार्यों के आंगणनों को टी0एस0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Abhishek Tripathi
Date: 15-12-2025
10:42:51

भवदीय,

(डॉ0 अभिषेक त्रिपाठी)पी0सी0एस0
मुख्य विकास अधिकारी, चमोली /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद,
विकास भवन, गोपेश्वर, जनपद चमोली।

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित)
Swami Rama Himalayan University
(Estd. under section 2(f) of UGC Act, 1956 vide Uttarakhand State Act)

पत्रांकः– एस.आर.एच.यू. / आई.आई.पी.एस.आर.टी. / 2025–26 / 1244 दिनांक 04.12.2025

प्रेषक,

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (SRHU)
जौलीग्रान्ट, देहरादून

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद चमोली एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद,
विकास भवन, गोपेश्वर, चमोली

विषयः वर्षा जल संग्रहण के लिये कार्य योजना तैयार किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय पत्रांक 28 / गै0वि0परि0–बैठक अनु0 / 2025–26 दिनांक 11.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि माननीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधानसभा, देहरादून के मार्गदर्शन में गैरसैंण विकास परिषद क्षेत्र हेतु विस्तृत जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण एवं क्षमता–विकास कार्य योजनाएं तैयार करने का दायित्व स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया था।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से निम्नलिखित तीन योजनाओं के प्रस्ताव एवं विस्तृत आगणन आपके अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित हैं–

क्र0 सं0	प्रस्ताव / परियोजना का शीर्षक	संक्षिप्त विवरण	कुल अनुमानित व्यय	संलग्न दस्तावेज
1	डायरेक्ट इंजेक्शन जलस्रोत पुनर्भरण योजना (निष्क्रिय हैंडपम्पों द्वारा उपचारित वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण)	गैरसैंण एवं चौखुटिया में 20 सूखे / अकार्यशील हैंडपम्पों को वर्षा जल से डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी द्वारा पुनर्जीवित एवं भूजल पुनर्भरण करना	₹ 31,04,435	प्रस्ताव एवं विस्तृत आगणन
2	दो–दिवसीय आवासीय क्षमता–विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 बैच)	गैरसैण विकास परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत PRI, VWSC, ASHA, Anganwadi के 300 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण	₹ 18,75,000	प्रस्ताव एवं विस्तृत आगणन, माड्यूल
3	विधानसभा भवन, भराड़ीसैंण में वर्षा जल संरक्षण टैंक का निर्माण	विधानसभा भवन के पीछे खाली स्थान पर वर्षा जल संरक्षण टैंक का निर्माण (300 के0एल0)	₹ 57,21,408	प्रस्ताव एवं विस्तृत आगणन
		कुल योग	₹ 1,07,00,843	

स्वामी राम नगर, जौलीग्रांट, देहरादून 248016, उत्तराखण्ड, भारत
Swami Ram Nagar, Jolly Grant, Dehradun 248016, Uttarakhand, India.
Tel:+91-135-2471102 / 2471140 | Email: info@srhu.edu.in | www.srhu.edu.in

यह भी सादर अवगत कराना है कि 20 अकार्यशील हैण्डपम्पों के भूजल पुनर्भरण हेतु डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आधारित प्रस्ताव क्र0सं0 1 का कार्य माननीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त विधिवत प्रारम्भ किया गया था। योजना का औपचारिक शुभारम्भ दिनांक 19 अगस्त 2025 को भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी तथा माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वर्तमान में चयनित 20 स्थलों में से 10 हैंडपम्पों पर कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है।

उपरोक्त विवरणों के साथ स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार प्रस्ताव एवं उनके विस्तृत आगणन संलग्न कर आपके अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित किए जा रहे हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि जनपद स्तरीय टी0एस0सी0 कमेटी द्वारा सम्बन्धित आगणनों को टी0एस0सी0 कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। तत्पश्चात् संलग्न प्रस्तावों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा भुगतान निर्गत करने की महति कृपा करें ताकि निर्धारित योजनाओं पर क्रियान्वयन यथाशीघ्र किया जा सके। बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है–

Name of Bank A/c- Swami Rama Himalayan University (General Fund)
A/c No.- 33082676422
IFS Code- SBIN0010580
Address- HIHT, Jolly Grant, Dehradun

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नितेश कौशिक)
नोडल निदेशक
जल एवं स्वच्छता विभाग
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय
जौलीग्रान्ट, देहरादून

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधानसभा, देहरादून/ मा0 अध्यक्ष, गैरसैण विकास परिषद, उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. सचिव, ~~गैरसैण विकास परिषद~~, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
   अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु अध्ययन, शोध एवं परामर्श संस्थान

(नोडल निदेशक)
जल एवं स्वच्छता विभाग

।।पंजीकृत।।

संख्या–28 / गै0वि0परि0–बैठक अनु0 / 2025–26

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
चमोली / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद,
विकास भवन, गोपेश्वर जनपद, चमोली।

सेवामे,

1–मा0 अध्यक्ष,
अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भराडीसैंण, गैरसैंण।
2–कुलपति,
स्वामी राम हिमालयन विश्व विद्यालय, जौलीग्रान्ट,
देहरादून।

दिनांक : तद्‌दिनांकित हस्ताक्षरित

विषय : वर्षा जल संग्रहण के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उल्लेख करना है कि मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 19 अगस्त, 2025 को भराडीसैंण स्थित विधान सभा भवन में उत्तराखण्ड गैरसैंण विकास परिषद की बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में मा0 अध्यक्ष महोदय के द्वारा वर्षा जल संवर्द्धन, जल स्रोतों को पुर्नजीवित किए जाने हेतु भूमिगत् जल संचयन के कार्यों को गैरसैंण विकास परिषद के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भराडीसैंण, गैरसैंण एवं स्वामी राम हिमालयन विश्व विद्यालय, जौलीग्रान्ट, देहरादून के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर किए जाने एवं हैण्ड पम्पों के जल स्तर को बढाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों को कियान्वित किए जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गये।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि आप परिषद क्षेत्र (विकास खण्ड गैरसैंण एवं चौखुटिया) के अन्तर्गत वर्षा जल संवर्द्धन, जल स्रोतों को पुर्नजीवित किए जाने हेतु भूमिगत् जल संचयन के कार्य एवं हैण्ड पम्पों के जल स्तर को बढाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों की कार्य योजना प्राथमिकता के आधार पर तैयार करते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तद्नुसार शासन से धनराशि की मॉग किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके।

संख्या–28 / गै0वि0परि0–बैठक अनु0 / 2025–26 तद्‌दिनांकित हस्ताक्षरित।

प्रतिलिपि : प्रमुख, निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून / मा0 अध्यक्ष, गैरसैंण विकास परिषद उत्तराखण्ड को मा0 अध्यक्ष जी के संज्ञानार्थ / अवलोकनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by
Abhishek Tripathi
Date: 11-11-2025
19:33:25

भवदीय,
(डॉ0 अभिषेक त्रिपाठी)पी0सी0एस0
मुख्य विकास अधिकारी, चमोली /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
गैरसैंण विकास परिषद उत्तराखण्ड,
विकास भवन, गोपेश्वर जनपद चमोली।